कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/3131/रि.ए.डी.एम./2020 इन्दौर, दिनांक 16/10/2020

"आ दे श"

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

(इन्दौर जिले में सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/राजनैतिक/रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों में जनसमूह (Congregation) तथा धार्मिक स्थलों में पूजा/अर्चना के संबंध में आवश्यक निर्देश)

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2 दिनांक 05/10/2020, पत्र कमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2 दिनांक 08/10/2020 एवं पत्र कमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2 दिनांक 15/10/2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु इन्दौर जिले में सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/ मनोरंजन/सांस्कृतिक/राजनैतिक/रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों में जनसमूह (Congregation) तथा धार्मिक स्थलों में पूजा/अर्चना के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–144 के अन्तर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में **मैं मनीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं :–

(अ) धार्मिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में :–

1. यह कि सम्पूर्ण इन्दौर जिले में विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किये जाने वाली प्रतिमा/ताजिए की ऊँचाई के संबंध में पूर्व में जारी प्रतिबंध को समाप्त किया जाता है ।
2. यह कि पाण्डाल का आकार अधिकतम 30X45 फीट नियत किया जाता है ।
3. झांकी निर्माता ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करेंगी, जिनसे संकुचित जगह (Constricted space) के कारण श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ की स्थिति बनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सके । झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ एकत्रित ना हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित् करना होगी ।
3. यह कि मूर्ति विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जावेंगा । मूर्ति विसर्जन हेतु विसर्जन स्थल तक ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह को ही अनुमति होगी । इस हेतु अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य रहेंगा ।
4. यह कि कोविड संकमण को दृष्टिगत् रखते हुवे किसी धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी । विसर्जन के लिए भी सामूहिक चल समारोह की अनुमति नहीं रहेंगी ।

District Magistrate
District Indore (M.P.)

5. यह कि गरबा आयोजन नहीं किये जा सकेंगे ।

6. यह कि लाउड स्पीकर बजाने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन सभी के लिये बाध्यकारी होगा अर्थात् रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा ।

7. यह कि रावण दहन के पूर्व परम्परागत् श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से निकालने हेतु अनुमति होगी । रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर अनुमति होगी । इस हेतु संबंधित आयोजकों/आयोजन समिति को लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा ।

8. यह कि सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पाण्डलों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों श्रद्धालु/दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करेंगे तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित् किया जावेगा।

9. जिले में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेले के आयोजन आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

(ब) इन्दौर जिले में सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/राजनैतिक/रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों में जनसमूह (Congregation) तथा धार्मिक स्थलों में पूजा/अर्चना के सम्बन्ध में :–

1. यह कि सम्पूर्ण इन्दौर जिले में खुले मैदान में उक्त प्रकार के कार्यक्रमों के लिये मैदान के आकार (Size) को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या जनसमूह के कार्यक्रम अनुमति प्राप्त कर, आयोजित किये जा सकेंगे ।

2. उपरोक्त प्रकार के कार्यक्रम कन्टेनमेन्ट जोन में आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।

3. इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजनों की अनुमति हेतु आयोजक द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होंगा, जिसमें कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा । विचारोपरान्त कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जावेंगी, जिसमें उल्लेखित संख्या एवं शर्तो का पालन कराने की जवाबदारी संबंधित आयोजक की होगी ।

4. उक्त प्रकार के आयोजनों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में उसकी प्रति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी(SDM)/रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराना होगी ।

5. धार्मिक स्थलों पर जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, वहां संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी(SDM) द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर इस प्रकार अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी, जिसमें उपलब्ध स्थान में श्रद्धालुओं के मध्य दो–गज दूरी सुनिश्चित् करते हुए पूजा/अर्चना की जा सके । किन्तु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नहीं होगी । साथ ही धार्मिक स्थल प्रबंधन को यह सुनिश्चित् करना होगा कि

District Magistrate
District Indore (M.P.)